

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-8
संख्या: 1926 /छ:-पु0-8-2018-801(77)2010 टी.सी.
लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अग्निशमन सेवा के संयुक्त निदेशक पद पर तैनात अधिकारियों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-1666/छ:-पु0-8-18-801(77)/2010 टीसी, दिनांक 11.09.2018 द्वारा संयुक्त निदेशक के पद की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है।


2- उक्त कार्यालय ज्ञाप के पृष्ठांकन के बिन्दु-3 में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्तियों दिनांक 18.09.2018 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिसकी समय सीमा बढ़ते हुए आपत्तियों प्राप्त किये जाने की तिथि 28.09.2018 निश्चित की गयी थी। रिट पिटीशन संख्या-24724(एस0/बी0)/2016, मंगेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-1419(एस0बी0)/2014 विवेक कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 27.09.2018 के समादर में दिनांक 10.10.2018 तक प्राप्त आपत्तियों विचारणीय होंगी।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे पुलिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 द्वारा पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर यदि कोई आपत्ति है तो दिनांक 10.10.2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इसे गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
अनु सचिव।